लखनऊ : [illegible]

प्रेषक,

डॉ0के0 रघुवंश,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक [illegible]

विषय: राजस्व विभाग द्वारा क्रय की गई मोटर बोट की मरम्मत हेतु धनराशि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-230/ आपदा मोटरबोट/2008-09 दिनांक 10 जुलाई, 2008 के क्रम में मुझे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2008 में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग द्वारा क्रय की गई 03 मोटर बोट की मरम्मत हेतु धनराशि रू0 3,00,000/-(रूपये तीन लाख मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर– 05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय –42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि राजस्व विभाग द्वारा क्रय की गई मोटर बोट की मरम्मत पर ही व्यय की जायेगी। उक्त मोटरबोट की मरम्मत का कार्य स्थानीय स्तर पर विद्युत यांत्रिक डिवीजन, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर सुरक्षित कोष में रखा जाय तथा यह के अन्य से भिन्न रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा [illegible] [illegible] व्यय विवरण/लेखित [illegible] [illegible] दिनांक 29 जुलाई, 2008 [illegible]

5. शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दि० 25 मार्च, 2009 तक शासन को अवश्य सूचित करते हुये वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित कर दिया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड –5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या –42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुरतांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : ३९ ३५ / 1–10–2008–14(23) / 2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, इलाहाबाद ।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाकार राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग–6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनादेश पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।